



भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र / Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग / CHSS Section

1/ए.एफ., बिधान नगर / Bidhan Nagar,
कोलकाता / Kolkata-700064

सं/No.वीईसीसी/VECC/सीएचएसएस/CHSS/2023/

187

मई / May 2, 2023

03

पृष्ठांकन / ENDORSEMENT

विषय : सीएचएसएस नियमावली, 1998 के खंड संख्या 6.3 में संशोधन के संबंध में।
Sub : Amendment in Clause 6.3 of CHSS Rules, 1998-reg.

उपरोक्त विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 28.04.2023 के परिशिष्ट संख्या 7/14/2022/IR&W/Vol.II/5636 की एक प्रति सूचनार्थ एतद द्वारा अग्रेषित की जाती है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/14/2022/IR&W/Vol.II/5636 dated 28.04.2023 on the above mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary compliance please.

Benth 02/05/2023

(वी.एस.एन.वी.आर. कृष्ण कान्त /

V.S.N.V.R. Krishna Kanth)

सहायक कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस) /

Asstt. Personnel Officer (CHSS)

संलग्न यथोपरि

Encl: As above.

वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थी - नोटिस बोर्ड और वीईसीसी वेबसाइट के माध्यम से।
All CHSS beneficiaries of VECC - through Notice Boards & VECC Website.

Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता /
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख /
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाउन, कोलकाता-700163 / Administrative Officer,
RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता / Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.

9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Office-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Office-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association,VECC.



सत्यमेव जयते

(022-22862703)

ई-मेल/e-mail:

irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai-400 001

सं.क्र.7/14/2022/IR&W/Vol.II/ 5636

अप्रैल 28, 2023.

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस नियमावली, 1998 के खंड संख्या 6.3 में संशोधन के संबंध में।
Subject: Amendment in Clause 6.3 of CHSS Rules, 1998 – regarding

सीएचएसएस नियमावली, 1998 के खंड 6.3 के तहत मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में पात्र अस्पताल के कमरे में इलाज की अनुमति और इस तरह के कमरे में ठहरने की अनुमति देने के अधिकार के संबंध में विभाग में इसे संशोधित करने के लिए राय मांगी गई है।

With reference to existing provisions under clause 6.3 CHSS Rules, 1998 regarding permission to avail treatment in entitled hospital accommodation and authority to permit such stay, reference has been received in the Department to revise the same.

- विभाग में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि सीएचएसएस नियमावली, 1998 के खंड 6.3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:
यदि सीएचएसएस से रेफरेंस मिलने के बाद, कोई लाभार्थी अपनी पहल पर अपनी सामान्य पात्रता के कमरे से अधिक वाले में भर्ती होता/होती है, तो नर्सिंगहोम/अस्पताल के पूरे बिलका भुगतान पहले कर्मचारी द्वारा किया जाएगा, और वह बिलके उस हिस्से के लिए सीएचएसएस से प्रतिपूर्ति का दावा करे जो आवास के साथ-साथ अन्य संबद्ध शुल्कों के लिए उसकी सामान्य पात्रता के अंतर्गत आता है।
सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी और संबंधित यूनिट की इन-हाउस मेडिकल टीम को विशेष कारणों लिखित रूप में दर्ज किया जाए, पात्रता के अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की मंजूरी देने के लिए सक्षम माना जाता है। मामले की गंभीरता के आधार पर विरलतम मामलों में शक्तियों का सख्ती से प्रयोग किया जाए"/

*"If after obtaining a reference from CHSS, a beneficiary admits himself/herself on his/her own initiative to an accommodation on higher than his/her normal entitlement, the entire bill of the nursing home/hospital shall be first paid by the employee who may claim reimbursement from CHSS for that portion of the bill which would fall within his/her normal entitlement for accommodation as well as other allied charges. **CHSS Administering Authority and the in-house Medical team of the Unit concerned is considered competent to approve, reimbursement over and above entitlements for special reasons to be recorded in writing. The powers may be stringently exercised in the rarest of rare cases purely based on severity of the case.**"*

3. यह कार्यालय ज्ञापन इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।
This OM will be effective from the date of issue.
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

Ajitha
28/04/2023

(अजीता थरियन AjithaThariyan)

अवरसचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

प्रतिलिपि Copy to:

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय
O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय
O/o JS(A&A), DAE
परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण DAE Darpan